...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुयी। वादी/अभिभाषक उप० रहे।
प्रार्थीगण द्वारा राज. काश्त. अधि. की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि बन्दोबस्त सम्वत 2058 के हाल खसरा नं. 786 रकबा 4 एयर, साबिक ख.नं. 686 रकबा 3 बिस्वा जिसके बन्दोबस्त 2020 के हाल ख.नं. 686 रकबा 3 बिस्वा साबिक ख.नं. 464 रकबा 3 बिस्वा मौजे ग्राम बहाला रामगढ़ मे स्थित है। प्रा.पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर तात्कालिक दावा प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो आराजी ख.नं. 786 रकबा 4 एयर मौजे ग्राम बहाला से वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे और नाही रहन बैय हिबा से किसी व्यक्ति को मुन्तकिल करे। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखे।

अप्रार्थी सं० 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है तथा अप्रार्थी सं० 2 ने अपना जवाब प्रा.पत्र इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2073-76 on line आ.ख.नं. हाल 786 रकबा 0.04 हे० किस्म भूमि गै०मु- धर्मशाला खाता सं० 237 पर नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज है। मिलान संक्रमण सं० 2058 मे ख.नं. 786 के साबिक ख.नं. 686 रकबा 3 बिस्वा एवं ख.नं. 686 के साबिक ख.नं. 464 रकबा 3 बिस्वा है। गै.मु. धर्मशाला दर्ज है। खसरा सैटलमेन्ट सं. 2013 अनुसार उक्त आराजी बिलानाम ना. को अण्डर लाईन कर सिवायचक दर्ज है। प्रा.पत्र मे चाहा गया अनुतोष किया जाना उचित नहीं खारिज योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई जिसमे उनके द्वारा प्रा.पत्र के कथनो का दोहराव करते हुये प्रमुखत: कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे, जिससे कि प्रार्थी सुरक्षित रहे और उनके विरुद्ध कोई बेदखली जैसी कार्यवाही न की जा सके तथा राजस्व रिकार्ड भी दुरस्त हो सके।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। इसके उपरान्त यह न्यायालय यह उचित नहीं पाता है कि राजकीय संस्था नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज आराजी ख.नं. जो कि गै. मु० धर्मशाला के रूप मे अंकित है के विरुद्ध किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश जारी करे। जैसा कि हाल रिकार्ड मे उक्त आ० ख. नं० प्रार्थी के पक्ष मे दर्ज न होकर नगर विकास न्यास अलवर

लगातार ....

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के रूप मे दर्ज जमाबन्दी है, तथा प्रार्थी भी किसी प्रकार के राजस्व रिकार्ड से प्रथमदृष्टया यह सिद्ध नही कर पाये है इस आराजी खसरा नम्बर मे उनका हित व अधिकार किस प्रकार से निहित हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधिनियम खारिज किये जाने के योग्य होने से खारिज किया जाता है। यह निर्णय मेरे आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)